

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 833
7 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना

+833. श्री डी.के. सुरेश:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित बहु-राज्य सहकारी समितियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने सहकारी समितियों को देश में व्यवसाय के अवसर को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप व्यापार करने में आसानी में सहायता करने के लिए अधिकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने बहुराज्य सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) देश में विगत तीन वर्षों में स्थापित बहुराज्य सहकारी समितियों की कुल संख्या, वर्ष-वार एवं राज्य-वार अनुबंध-। में संलग्न है।

(ख): “सहकार से समृद्धि” की परिकल्पना को साकार करने, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के पश्चात् अनेक पहलें की है जैसे:

1. पैक्स का कंप्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
2. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां: पैक्स को डेयरी, मात्स्यकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों के प्रापण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया।
3. कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स: पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, ग्रामीण स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबाड़ और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

4. **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश के सभी सेक्टरों की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आरंभ किया जा रहा है।
5. **राष्ट्रीय सहकारी नीति**: सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया।
6. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन**: सतानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुरःस्थापित किया गया।
7. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम**: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्व-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया।
8. **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान**: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके।
9. **जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता'** के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे।
10. **सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती**: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।
11. **न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती**: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है।
12. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत**: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
13. **नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना**: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की गई है।

14. पैक्स और PCARDBs द्वारा पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की है।
15. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की है।
16. चीनी सहकारी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) अथवा राज्य की सलाह मूल्य (SAP) तक, गने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।
17. चीनी सहकारी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी।
18. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा।
19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रमाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा।
20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की जा रही है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगा।

(ग): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अधीन बहुराज्य सहकारी समितियों के निरीक्षण और धारा 84 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की केन्द्रीय पंजीयक की शक्तियां सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयकों को भी प्रत्यायोजित की गयी हैं जो केन्द्रीय पंजीयक की ओर से कार्य करते हैं। सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

विगत तीन वर्षों, अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की संख्या

क्रम सं.	वर्ष	समितियों की संख्या
1.	2020	10
2.	2021	14
3.	2022	68
	कुल	92

विगत तीन वर्षों, अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	5
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	झारखंड	1
8.	केरल	10
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	महाराष्ट्र	30
11.	मणिपुर	2
12.	नई दिल्ली	3
13.	पंजाब	1
14.	तमिल नाडु	7
15.	तेलंगाना	2
16.	उत्तर प्रदेश	19
17.	उत्तराखण्ड	2
	कुल	92